जी. एस. रामास्वामी और अन्य

बनाम

निरीक्षक-प्लिस महानिदेशक, मैसूर

(पी. बी. गजेन्द्र गडकर, के. एन. वांचू, के. सी. दास गुप्ता, जे. सी. शाह और एन. राजगोपाला अयंगर)

राज्य पुलिस सेवा-उप-निरीक्षक मंडल निरीक्षकों की पात्रता सूची में शामिल-राज्यों का पुनर्गठन-नए राज्य में मंडल निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति--वरिष्ठ अधिकारियों की वापसी पर प्रत्यावर्तन -पद में कमी-मैसूर वरिष्ठता नियम, 1957, नियम 2 (ग)-हैदराबाद जिला पुलिस नियमावली, एसएस। 399, 403, 486.

सभी याचिकाकर्ताओं को पूर्व हैदराबाद में उप-निरीक्षक नियुक्त किया गया था। सभी याचिकाकर्ताओं के नाम पर सर्कल निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया गया और उनके नाम पात्रता सूची में शामिल किए गए थे। पूर्व हैदराबाद राज्य के कुछ क्षेत्रों का मैसूर में विलय के कारण याचिकाकर्ताओं को मैसूर स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं को वेत किरा में पूर्व हैदराबाद से प्राप्त पात्रता सूची से पदोन्नत किया । वे अलग-अलग अवधियों तक कार्य करते रहे। जब कुछ निश्चित सर्किल इंस्पेक्टर जो छुट्टी पर थे या राज्य के बाहर

प्रतिनियुक्ति पर थे, नए राज्य में लौट आए, तो याचिकाकर्ताओं को रिवर्ट करने का आदेश दिया।

जब ऐसा हुआ, तो याचिकाकर्ताओं ने मैसुर उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की। पूर्व हैदराबाद राज्य द्वारा योग्यता सूची में उनको रखा गया था, उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नित का अधिकार है और वहां पर जारी रहने का अधिकार है और रिवर्ट का आदेश से उनकी रैंक में कमी आई है, उन्होंने रिट याचिका में प्रार्थना की कि प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द किया जाए, और राज्य सरकार को उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में जारी रखने का निर्देश दिया जाए और उन्हें कंफर्म किया जाए उनकी रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और वे स्पेशल लीव पीटीशन से इस अदालत में आए थे। अपीलों के अलावा इस न्यायालय में उन्होंने रिट भी दायर की। दो अन्य जिनके द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की गई उन्होंने रिट याचिकाएं इस न्यायालय में दायर की।

इस न्यायालय के समक्ष दलीलें उठाई गईं कि चौकी उनके नाम पात्रता सूची में डाल दिए गए, उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नित का एक अक्षम्य अधिकार मिला है कि अस्थायी या कार्यवाहक पर पदोन्नित के बाद उन्हें किसी भी परिस्थिति में रिवर्ट नहीं किए जाने का अधिकार मिला, कि उन्होंने दो साल से अधिक समय तक परिवीक्षा पर काम किया था। वे खुद ब खुद रूल 486 के तहत कंफर्म हो गए उनकी पदावनति से रूल 2(c) के तहत उनकी रैंक कम हो गयी या नहीं अन्य सर्कल निरीक्षकों से वरिष्ठ माना जाना चाहिए जिन्हें उनके पदोन्नत होने के बाद पदोन्नत किया गया था इसलिए उनको रिवर्ट नहीं किया जाना चाहिए था या जिन अन्य सर्कल इंस्पेक्टर जिन्हें उनके बाद सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था उन्हें इससे इस आधार पे रिवर्ट किया जाना चाहिए था कि सबसे जुनियर कार्यवाहक व्यक्तियों को रिवर्ट जाना चाहिए। अपील और रिट पीटीशन को खारिज किया और ये प्रतिपादित किया कि केवल यह तथ्य कि एक उप-निरीक्षक का नाम एक बार पात्रता सूची में रखा जाता है उसे पदोन्नति का अक्षम्य अधिकार नहीं देती है। इसके अलावा, उसकी पदोन्नती एक अस्थायी या कार्यवाहक के आधार पर, उसे किसी भी परिस्थिति में रिवर्ट नहीं किए जाने का अधिकार नहीं मिलता है।

नियम 486 2 वर्ष की अविध की परिवीक्षा के बाद अपने आप कंफर्मेशन होना नहीं प्रावधान्वित करती। उस नियम में ये प्रावधान की पदोन्नत अधिकारी को परिवीक्षा के पश्चात् कंफर्म किया जाएगा इस शब्द से तात्पर्य है: "यदि उन्होंने संतुष्टि दी है"। सक्षम प्राधिकारी उनके काम के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और उनकी कंफर्मेशन का आदेश उस प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाए। वर्तमान मामले में पदावनित रैंक में कमी के बराबर नहीं है। क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कभी भी सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में

पुष्टि नहीं की गई थी और उस पद पर कोई अधिकार नहीं था और उनका प्रत्यावर्तन सेवा की अनिवार्यताओं के कारण था और उनकी ओर से किसी भी गलती के कारण नहीं। सेवा की अनिवार्यताओं के कारण पदावनतिक्युकिं वरिष्ठ अधिकारियों प्रतिनियुक्ति या छूटटी से वापस आ गए थे पद में कमी के बराबर नहीं थी।

याचिकाकर्ता विशिष्ट परिस्थितियों में नियम 2 (सी) पर भरोसा नहीं कर सकते थे जो पुनर्गठन के बाद राज्य में प्रचलित है क्योंकि पदोन्नित एड होक आधार पर बिना अलग अलग राज्यों के अधिकारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखे हुए की थी यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं का प्रत्यावर्तन भेदभाव के किया था।

सुखबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1711. को रैफर किया।

सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 972-977 /1963 निर्णय और आदेश से स्पेशल लीव द्वारा अपील दिनांक 3 अप्रैल, 1963 को मैसूर उच्च न्यायालय रिट याचिका सं- 1380 , 1179 , 1246 , 1259 और 1312 / 1962 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं मौतिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।

पुरुषोत्तम त्रिकमदास और आर. गोपालकृष्णन, अपीलार्थी (सी. ए. सं. में। 972-977/1963 और लघु याचिका संख्या 1963 का 64 और 90 से 94 में)

आर. गोपालकृष्णन, याचिकाकर्ताओं के लिए (याचिका संख्या 173 और 174 /1963 में)

एस. वी. गुपी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, बी. आर. एल. अयंगर और बी. आर. जी. के. आचार, प्रत्यर्थी के लिए (सी. ए. नं. 972-977 1963 का और याचिका संख्या 64 और 90 से 94 /1963 में)।

बी. आर. एल. अयंगर और बी. आर. जी. के. आचार, रेस के लिए विचार (याचिका संख्या 173 और 174/1963 में)

21 जनवरी, 1964 में यह निर्णय वांचू जे. द्वारा दिया गया।

ये अपीलें और रिट याचिकाएँ सामान्य प्रश्न से सम्बन्धित हैं और इनका निस्तारण एक साथ किया जायेगा। ये अपील मैसूर उच्च न्यायालय में दायर छह रिट याचिकाओं में से अपीलें उत्पन्न होती हैं और इस न्यायालय में दायर छह रिट याचिकाएं उन्हीं याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं जिन्होंने मैसूर उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। दो रिट याचिकाएँ (सं। 173 और 174) दो अन्य लोगों द्वारा दायर किए गए हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं भी दायर कीं, हालांकि उन्होंने

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की है। उन सभी को बाद में याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के समक्ष मामला संक्षिप्त रूप से यह था। सभी याचिकाकर्ताओं को पूर्व हैदराबाद राज्य में उप-निरीक्षक नियुक्त किया गया था। धारा 6 हैदराबाद जिला पुलिस नियमावली (सं 10 /1329 फसली) रूल ३९९ हैदराबाद जिला पुलिस अधिनियम, हैदराबाद सरकार द्वारा 10 हैदराबाद जिला प्लिस अधिनियम के तहत जारी की गई के अनुसार, सर्कल निरीक्षकों के पदों को उप-निरीक्षकों के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। आगे के नियम में उक्त न्यायालय की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। जिन चयनित उप-निरीक्षकों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता था, उनके नाम पुलिस उप-महानिरीक्षक और हैदराबाद के नगर पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को भेजे जाते थे। इसके बाद एक बोर्ड जिसमें प्लिस महानिरीक्षक और सभी प्लिस उप महानिरीक्षक, शहर पुलिस आयुक्त, हैदराबाद और सहायक पुलिस महानिरीक्षक शामिल थे उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेकर और पदोन्नति के लिए उपयुक्त उप-निरीक्षकों की एक अनुमोदित सूची तैयार करते थे। इस अनुमोदित सूची को पात्रता सूची कहा जाता था और इस सूची से सर्कल इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति की जाती थी। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि उनके नाम जो अक्टूबर महीने में अनुमोदित सूची तैयार की गयी मे थी जो राज्यप पुनर्गठन अधिनियम (सं. 1956 का 37) 1 नवंबर, 1956

को लागू हुआ से पूर्व का था। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि पात्रता सूची में उनके नामों की प्रविष्टि को देखते हुए उनके सर्कल इस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत होने का अधिकार था के रूप में हकदार थे जब जब वो पद रिक्त हुये। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने पर, बोमबे, हैदराबाद, मद्रास और कुर्ग राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मौजूदा मैसूर राज्य के अलावा नए मैसूर राज्य का हिस्सा बनाया गया था। परिणामस्वरूप, इन राज्यों से संबंधित कुछ लोक सेवक जो उन शर्तों से सम्बन्धित थी जिन क्षेत्रों को पुराने मैसूर में जोडा गया, उन्हें नए मैसुर राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया जो पुराने मैसूर और जोडे गये क्षेत्रों से बना इनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे।

धारा 115 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, के तहत लोक सेवक जिनका स्थानान्तरण हो गया था को माना जाता था कि वे प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के सम्बन्ध में कार्य करते हैं। सहायता के उद्देश्य से एक या उससे अधिक सलाहकार बोर्ड की स्थापना के प्रावधान भी बनाये गये जो सेवाओं का विभाजन और एकीकरण, राज्यों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम से प्रभावित सभी व्यक्ति के सम्बन्ध में सहायता करेंगें।

धारा 115 में आगे प्रावधान किया कि सेवा की शर्तें नियत दिन से तुरंत पहले लागू (अर्थात्, 1 नवंबर, 1956) को नए राज्य में अंतरित किसी भी व्यक्ति का, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति ली गयी हाे के नुकसान के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। धारा 116 (1) लोक सेवकों के समान पदों में बने रहने का प्रावधान करती थी लेकिन उप धारा (2) इसमें कहा गया है कि इस धारा में लिखे होने के बावजूद भी उप धारा (1) एक सक्षम प्राधिकारी को नहीं रोक सकती जो इस प्रकार के किसी भी संबंध में नियत दिन बीतने के बाद ऐसे पद पर उसके बने रहने को प्रभावित करने वाला कोई आदेश या कार्यालय, जिससे उत्तराधिकारी राज्य के अधिकार को मान्यता मिलती है अन्य बातों के साथ-साथ नए राज्य में कहीं भी अधिकारियों का स्थानांतरण किसी भी नये राज्य में 1 नवंबर, 1956 के बाद कर दें।

याचिकाकर्ताओं ने नए राज्य में सेवा जारी रखी और जैसा कि वे ऊपर उल्लिखित पात्रता सूची में थे उनको नवंबर 1, 1956 के बाद विभिन्न तिथियों पर सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि पात्रता सूचियाँ मैसूर के नए राज्य में सभी राज्यों से प्राप्त की जिन राज्यों के क्षेत्रों को उस में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हस्तांतरित किया गया था और इन सूचियों पर कार्रवाई जारी रही जब जब सर्कल इंस्पेक्टरों के संवर्ग में रिक्तियां पैदा हुईं।

ऐसा भी प्रतीत होता है कि लंबित एकीकरण पदोन्नित इन पात्रता सूचियों से ऐड होक बनाई गई, या जैसा कि "विरष्ठता के आधार पर" और वे एकीकरण के लंबित चलते रहे। याचिकाकर्ताओं को ऐड होक सर्कल

इनसपेक्टर पर पदोन्नत पूर्व हैदराबाद राज्य से प्राप्त पात्रता सूची से किया जाता और उन्होंनें अलग-अलग मामलों के लिए कार्य करना जारी रखा। यह आगे प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को रिर्वट किया जब कुछ कन्फर्म सर्कल इस्पेक्टर जो छुटटी पर थे या बाहर प्रतिनियुक्ति पर थे नए राज्य में लौट आए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर की जिसमें उन्होंने दावा किया कि चूंकि उन्हें पूर्व हैदराबाद राज्य द्वारा पात्रता सूची में रखा गया था, इसलिए वे सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति के अधिकार के हकदार थे और उसके बाद भी बने रहने के हकदार थे और उनके प्रत्यावर्तन का आदेश रैंक में कमी के बराबर था। इसलिए उन्होंने 6 सितंबर, 1962 के आदेशों को रद्द करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश के लिए प्रार्थना की, जिसमें उन्हें वापस लेने का आदेश दिया गया और राज्य सरकार को उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में जारी रखने और उनकी पृष्टि करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों के दौरान, आर पर निर्भरता रखी गई थी। 2 (ग) 1957 में मैसूर के राज्यपाल द्वारा बनाए गए वरिष्ठता नियमों और रिट याचिकाओं का। इस न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से उस वरिष्ठता नियम पर आधारित हैं जिसका हम नियत समय में उल्लेख करेंगे।

राज्य सरकार का मामला संक्षेप में यही था। 1 नवंबर, 1956 के बाद, यह स्वीकार किया गया कि इन अधिकारियों को नए मैसूर राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन सभी राज्यों से पात्रता सूची प्राप्त की गई थी, जिन राज्यों से क्षेत्रों और अधिकारियों को नए मैसूर राज्य में स्थानांतरित किया गया था। हालाँकि विभिन्न सेवाओं के एकीकरण में समय लगना तय था, इसलिए नए राज्य ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, एकीकरण के संरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त पात्रता सूचियों पर कार्य करना शुरू कर दिया और उप-निरीक्षकों को उन पात्रता सूचियों से सर्कल निरीक्षकों के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया [और यह विभिन्न आदेशों में स्पष्ट किया गया था जो समय-समय पर "वरिष्ठता से बाहर" शब्दों का उपयोग करके पारित किए जाते थे जब ऐसी पदोन्नति की जाती थी।] अंततः फरवरी 1958 में सभी उप-निरीक्षकों की एक अस्थायी एकीकृत वरिष्ठता सूची तैयार की गई, जिसमें वे भी शामिल थे जो सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे (जिसे बाद में अस्थायी सूची के रूप में संदर्भित किया गया)। 1962 में जब वरिष्ठ सर्कल निरीक्षक प्रतिनियुक्ति से राज्य में लौटे थ्रे, फिर कार्यवाहक सर्कल निरीक्षकों (याचिकाकर्ताओं के अलावा) को वापस कर दिया गया। उन्होंने 1962 में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं जिसमें तर्क दिया गया था कि भले ही उन्हें बाद में पदोन्नत किया गया था, लेकिन दूरदर्शी सूची में उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें रिर्वट नहीं किया जाना चाहिए था और उस दूरदर्शी सूची का पालन किया जाना चाहिए था और अस्थायी सूची में उनसे छोटे लोगों को रिर्वट कर

दिया जाना चाहिए था। इस तर्क को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अन्पालन में अस्थायी सूची के अनुसार प्रत्यावर्तन किए जाने लगे। यही कारण था कि अस्थायी सूची के अनुसार सबसे कनिष्ठ उप-निरीक्षक जो पात्रता सूची में थे और जो सर्कल निरीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें रिवंट कर दिया गया। परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता, जब वरिष्ठ अधिकारी राज्य में वापस आए तो उन्हें भी रिर्वट कर दिया गया। यह भी आग्रह किया गया कि पात्रता सूचियों में दिये गये उप-निरीक्षकों को यह अधिकार नहीं देता है कि उन्हें सर्कल निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया जावे हालांकि यह विवादित नहीं है कि सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में केवल पदोन्नत उन्हें ही किया जाना है जिनका नाम पात्रता सूची में है। नियमों को देखते हए, उपनिरीक्षक का नाम पात्रता सूची में है उसे पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि कार्यवाहक सर्कल निरीक्षक एक निश्चित संख्या में वर्षों तक काम करने के बाद वे एक स्वचालित अधिकार के रूप में पृष्टि का दावा नहीं कर सकते हैं और वे केवल तभी पृष्ट सर्कल निरीक्षक बन सकते हैं जब सरकार द्वारा उस आशय के आदेश स्पष्ट रूप से दिए गए हो वर्तमान मामलों में याचिकाकर्ताओं की सरकार द्वारा कभी भी निरीक्षक के रूप में पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिए

रैकं में रिर्वट का कोई सवाल ही नहीं था। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उनकी ओर से किसी भी गलती के कारण रिर्वट किया गया हो। उन्हें केवल वरिष्ठ निरीक्षक प्रतिनियुक्ति राज्य में वापस रिर्वट करने के कारण रिर्वट किया गया था।

यह आग्रह किया गया कि वर्तमान मामले में परिवर्तन रैंक के बराबर नहीं हो सकता है और यह केवल सेवा की आवश्यकताओं के कारण किया गया है। आर के बारे में। 2 (ग) वरिष्ठता नियमों के अनुसार, सरकार का मामला यह था कि वह नियम निरीक्षकों की वरिष्ठता को नियंत्रित करता है, जबिक वे इस तरह से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रत्यावर्तन के प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं हैं, और किसी भी मामले में यह देखते हुए कि पदोन्नति 1 नवं बर, 1956 के बाद तदर्थ आधार पर की गई है, याचिकाकर्ताओं को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा और सरकार को उपरोक्त उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए अस्थायी सूची का पालन करने में उचित ठहराया गया। इसलिए यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को उन पदों पर कोई अधिकार नहीं हैं। जिनसे उन्हें वापस लिया गया था और रैंक में कोई कमी नहीं की गई थी और वे किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।

उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद छः याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष अनुमित प्राप्त की गई और इस तरह हमारे समक्ष छह अपीलं की गई। इन छह अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष छः रिट याचिका दायर की जो कि दो अन्य रिट याचिकाओं के अतिरिक्त की गयी थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिये दो प्रश्न यह है कि निरीक्ष्क का नाम पात्रता सूची नाम होने से, उसे पदोन्निति का अक्षमीय अधिकार मिलता है, और ऐसी पदोन्निति के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में रिवंट किये जाने का अधिकार मिलता है। हमारी राय है कि उपनिरीक्षक का नाम पात्रता सूची मेें हैं, उसे याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किये गये अधिकारों का कोई अधिकार नहीं है। द हैदराबाद डिस्टीक पुलिस मैनुअल के नियम 399 से 403 इस सम्बन्ध में सुसंगत है। नियम 399 उल्लेख है कि सर्कल इस्पेक्टर के पद की रिक्तयों को चयनित उपनिरीक्षको की पदोन्निताियों से भरा जाना है। नियम 403 यह निधारित करता है कि सर्कल इस्पेक्टर के पद पर कोई सीधी नियुक्ति नहीं की जायेगी। नियम 400 पात्रता सूची में नाम डालने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। नियम 102 उप निरीक्षकों को सी आई डी में सेवारत होने के बारे में सन्दभित करता है। नियम 401 सन्दिभत करता है जिन उपनिरीक्षक का नाम अनुमोिदत सूची में दर्ज है उन्हें ठडें मौसम के दौरे के दौरान पुलिस उप महा निरीक्षक द्वारा साक्षाात्कार किया जायेगा। और प्रत्येक वर्ष उप निरीक्षको के काम की जांच की जायेगी। और रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक को दी जायेगी कि क्या अधिकारी ने पदोन्नित के लिये अपनी योग्यता बनाई रखी है या नहीं। अतः 401 यह स्पष्ट करता है कि उपनिरीक्षको का नाम पात्रता सूची में रखे जाने के बाद भी, पदाेन्निति के लिये उसकी योग्यता बनाई गयी रिपोर्ट से तय की जानी है। इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि जहां एक उप निरीक्षक ने अपनी योग्यता नहीं बनाई रखी है, उसका नाम पात्रता सूची से हटाया जा सकता है। इसलिये उप निरीक्षक का नाम एक बार पात्रता सूची में डाल दिया है इससे उसे अक्षमीय अधिकार नहीं मिलता है। नियम 486 जो कि पदोन्नति को नियत्रित करता है जिसके अनु्सार पदोन्नति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि सभी रैंक के अधिकारी और पुरुष पदोन्नति की उम्मीद करने के हकदार हैं यदि उनके पास अच्छा रिकॉर्ड है, और यदि वे चतुर और कुशल हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों का पूरा ज्ञान है। यह फिर से यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केवल इसलिए कि एक उप-निरीक्षक का नाम पात्रता सूची में रखा गया है, वह अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है। नियम 486 में आगे प्रावधान किया गया है कि पदोन्नत किए गए सभी अधिकारी दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। उन्हें इस अविध के दौरान किसी भी समय उन्हें बढ़ावा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस किया जा सकता है, यदि उनकी नियुक्ति और कार्य संतोषजनक

नहीं हैं, या यदि वे उस नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाए जाते हैं जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जहां भी एक उप-निरीक्षक को वास्तव में सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है, वह दो साल के लिए परिवीक्षा पर रहता है और उस अवधि के दौरान अगर उसका काम और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे वापस किए जाने की संभावना है। यह फिर से याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तर्क को नकारता है कि उन्हें पदोन्नति का अनिश्वित अधिकार था क्योंकि उनके नाम योग्यता सूची में डाल दिए गए थे और एक बार सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करना शुरू करने के बाद उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। नियम 486 में प्रावधान है कि पदोन्नत अधिकारी की पृष्टि उनकी पर्यवीक्षा अवधि के अन्त में की जायेगी। यदि उन्होंने संतोष जनक कार्य किया है तो। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह तभी होगा जब प्रोबेशनरी अविध समाप्त हो जायेगी और पदोन्नत अधिकारी ने उस पूरी अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य किया गया हो। नियम 401 और 486 साथ में पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कि एक उप-निरीक्षक का नाम पात्रता सूची में रखा गया है, उसे पदोन्नति का कोई अनिश्वित अधिकार नहीं देता है। इसके अलावा यह तथ्य कि उसे वास्तव में अस्थायी रूप से या कार्यवाहक के रूप में पदोन्नत किया गया है, उसे दो साल की परिवीक्षा की अवधि के दौरान भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं देता है और वह उन दो वर्षों के दौरान भी किसी भी समय वापस किए जाने के लिए

उत्तरदायी है यदि उसका काम बेकार पाया जाता है; यह केवल तभी है जब संबंधित प्राधिकरण ने पाया है कि प्रोबेशन अवधि के दौरान उसका काम और आचरण संतोषजनक है कि उसे आश्वस्त किया जा सकता है। याचिका काताओं का यह तर्क है कि उन्हें पात्रता सूची के कारण पदोन्नित का अधिकार है या पदोन्नित के पश्चात पद पर बने रहने का अधिकार है।

इसके अलावा याचिकाताऔ द्वारा यह आग्रह किया गया कि उनके द्वारा दो वर्ष से अधिक पर्यवीक्षाकाल में कार्य किया गया है जिसके कारण नियम 486 के अनुसार वह स्वतः ही उनके पद की पृष्टि हो गयी है। जिसमें रूल 486 के अनासार "पदोन्नत अधिकारियों की पृष्टि उनकी परिवीक्षा अवधि के अंत में की जाएगी यदि उन्होंने संतोषजनक कार्य किया हो।" इस प्रश्न का विनिक्ष्य न्यायालय द्वारा स्खबंस बनाम पंजाब राज्य में किया गया कि परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के बाद कोई परिवीक्षाधीन स्वचालित रूप से किसी सेवा के स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक कि निश्चित रूप से वे नियम जिनके तहत उसे नियुक्त किया जाता है, स्पष्ट रूप से इस तरह के परिणाम के लिए प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए भले ही एक परिवीक्षाधीन ने उस पद पर कार्य करना जारी रखा हो जिस पर उसे नियुक्त किया गया है। वह केवल अधिक समय प्रवाह के कारण स्थायी सेवक नहीं बन जाता है जब तक कि नियम उसे विशेष रूप से स्थायी सेवक न मान लें। हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आर का हिस्सा। 486 (जिसे हमने ऊपर निर्धारित किया है) स्पष्ट रूप से प्रोबेशन की अवधि समाप्त होने के बाद स्वचालित पृष्टि प्रदान करता है हमारा मानना यह है कि इसमें कोइर आधार नहीं हो।यह सच है कि उपर दिये गये वाक्य में शब्दों अर्थ का यह नहीं है कि पदोन्नत अधिकारी अपनी पर्यवीक्षा अवधि के अन्त में पदोन्नति के लिये पात्र या योग्य है। फिर भ नियम 486 कहता है कि पदोन्नत अधिकारीयों की पृष्टि पर्यवीक्षा अवधि के अन्त में की जायेगी। यह भाग तब योग्य होगा जब पदोन्नत अधिकारी संतोषजनक कार्य करेंगें। स्पष्ट रूप से यह नियम यह प्रतिपादित नहीं करता है कि पर्यवीक्षा समय के पश्चात पदोन्नत अधिकारी स्वतः पद हेतु पृष्ट हो जायेंगें। इस हेतु पदोन्नत अधिकारी तभी पुष्ठ होंगें जब उनके द्वारा संतोषजनक कार्य किया गया हो। सताेंषजनक कार्य की शर्त पदोन्नत अधिकारी द्वारा पद की पृष्टि से पूर्व किया जाना अावश्यक है और इस शर्त का तात्पर्य यह है कि सक्षम अधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने से है जिसमें पर्यवीक्षा अधिकारी। द्वारा संतोषजनक कार्य करने का उल्लेख हो। इसलिये याचिकाकताऔ द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता कि सर्कल निरीक्षक के रूप में उन्हें स्थायी रूप से पुष्ट कर दिया जायें क्योंकि उन्होंने पर्यवीक्षा पर दाे साल से अधिक कार्य कर लिया है। वह तभी स्थायी सर्कल आफिसर के रूप में माने जा सकते हैं यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसरण में आदेश पारित किया गया हो। पहला उल्लेख न्यायालय के समक्ष यह किया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास अक्षमीय अधिकार है कि

वह सर्कल इन्स्पेक्टर के रूप में पदोन्नत हो सकते है क्योंकि उनका नाम पात्रता सूची में है। और वह स्थायी सर्कल इन्सपेक्टर है क्योंकि उन्होंने दो वर्ष से अधिक पर्यवीक्षा अविध में कार्य किया है।

यह हमें अगले सवाल पर लाता है कि क्या वर्तमान मामले में रिवंट को पद में कमी के बराबर कहा जा सकता है पहले कहे गये कथनों को ध्यान में रखते हुये याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया मुद्दा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को पुष्ट सर्कल निरीक्षकों के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह विवादित नहीं है कि उनकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। यह भी विवादित नहीं है कि उन्हें उनके काम में किसी भी गलती के कारण वापस नहीं किया गया है। यह परिवर्तन केवल इसलिए किया गया है क्योंकि वरिष्ठ सर्कल निरीक्षक या तो प्रतिनियुक्ति से या छुट्टी से राज्य में वापस आए हैं। इस तरह के रिवंट दाे कारणों से रैंक में कमी के बराबर नहीं हो सकते है क्योंकि हमारे सामने याचिकाकर्ताओं को कभी भी सर्कल इन्सपेक्टर के रूप में पुष्ट नहीं किया गया था और उन्हें उस पद का कोई अधािकार नहीं है, दुसरा रिवंट से वा की आवश्यकता के कारण है न कि उनकी ओर से गलती के कारण। वरिष्ट अधिकारी सेवा के अनिवार्यरता के कारण रिर्वट आ गये हो, हमारी राय में यह रैंक में कमी के बराबर नहीं हो सकता। इसलिये याचिकाकर्ताओं का यह तर्क विफल है कि इस परिवर्तन से उन्हें रैंक में कम कर दिया गया है।

अगला बिन्दू जाे आग्रह किया गया था वह यह है कि राज्य सरकार उपनिरीक्षकों की अंतिम सूची हेत् हकदार नहीं है। वह पात्रता सूची के अनुसार पदोन्नति देने व क्षेत्रवार स्थानान्तरण करने में सक्षम है जिसमें याचिकाकर्ताओं को उनके वरिष्ट होने के कारण रिवंट नहीं किया जा सकता। हमारा मानना यह है कि इस तर्क में कोई आधार नहींे है। यह सच है कि कुछ समय के लिए राज्य सरकार इस आधार पर आगे बढ़ी क्योंकि कोई एकीकृत सूची उपलब्ध नहीं थी, चाहे वह दूरदर्शी हो या अंतिम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कानून के तहत वह एक बार अस्थायी सूची में शामिल होने के बाद तब तक कार्य नहीं कर सकती थी जब तक कि इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था या कि कोई रोक थी। राज्य सरकार के खिलाफ कुछ समय के लिए क्षेत्रवार कार्रवाई करने के कारण। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि चार राज्यों के क्षेत्र पुराने मैसूर राज्य में नए मैसूर राज्य के गठन के लिए आए थे और इसने अनिवार्य रूप से एकीकरण का कठिन सवाल उठाया था, और इसलिए राज्य सरकार ने क्षेत्रवार या वरिष्ठता से बाहर तदर्थ पदोन्नति की जैसा कि विभिन्न सरकारी आदेश दिये। परन्त प्रशासन के कार्य में राज्य के उददेश्यों के लिये एक इकाई के रूप में माना जाना बाध्य है। धारा 116(2) में राज्य पुर्नगठन अधिनियम यह स्पष्ठ है कि नियत दिन के बाद पूरे राज्य को एक इकाई के रूप में माना जायेगा। और नियत दिन के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा नये राज्य के सम्बन्ध में किसी अधिकारी पद या कार्यालय में उनके कार्यकाल से सम्बन्ध कोई भी

आदेश पारित किये जा सकते है। इसलिए हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि राज्य सरकार एकीकरण की अस्थायी सूची बनाए जाने तक केवल क्षेत्रवार हस्तांतरण करने के लिए बाध्य थी। हम कानून में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो राज्य सरकार को ऐसी सूची तैयार करने के बाद अस्थायी सूची के अनुसार आगे बढ़ने से रोकता हो। हमारी राय है कि मैस्र उच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार करने के बाद पहले की रिट याचिकाओं में लिया गया विचार सही है और राज्य सरकार उस सूची पर कार्रवाई करने का हकदार होगी, बशर्त कि अस्थायी सूची तैयार होने पर यदि अस्थायी सूची में किसी भी तरह से बदलाव किया जाता है, तो राज्य सरकार अस्थायी सूची को प्रभावी बनाएगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क विफल है कि

अन्त में 2 ग मैसूर विरष्टता नियमों के आधार पर यह तर्क दिये गये कि मैसुर के गर्वरनर के द्वारा फरवरी 1958 में यह नियम प्रतिपादित किये जो कि इस प्रकार है

अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की विरिष्ठता का निर्धारण उस श्रेणी में उनके निरंतर कार्य करने की तारीखों से किया जाएगा और जहां कार्याविध समान है, वहां निम्न श्रेणी में विरिष्ठता प्रबल होगी। याचिकाकर्ताऔ द्वारा यह तर्क दिया गया कि उपर दिये गये नियम के अनुसार उन्हे विरिष्ट इस्पेक्टर माना जाना चाहिये क्योंकि उन्हे अन्य सर्कल इन्स्पेक्टर से पहले पदोन्नत किया गया था इसिलये उन्हें रिर्वट नहीं किया जाना चाहिये बल्कि अन्य सर्कल इन्सपेक्ब्टर को रिर्वट किया जाना चाहिये जिनका पदोन्नत उनके बाद किया गया था।

2 (ग) उच्च पद पर कार्यरत व्यक्तयों के बीच विरष्टता बाबत प्रावधानित करता है। यह नियम स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं कर रहा है जिसमें कि किस पद्धति द्वारा रिवंट किया जाना चाहिये जहां रिवर्ट आवश्यकताऔं के कारण किया गया हो। अतः यह नियम स्पष्ट रूप से लास्ट कम फस्ट गो के लिये नहीं माना जा सकता जैसा कि औद्योगिक कानून में बताया गया है। अतः यािचका कर्ता यह दावा नहीं कर सकते कि नियम 2 (ग) का उल्लघंन उनके प्रत्यावर्तन से हुआ है क्योंकि उक्त नियम प्रत्यावर्तन के बारे में नहीं बताता व केवल मात्र वरिष्ट अधिकारियों की वरिष्टता के बाबत बताता है। जब प्र त्यावर्तन पब्लिक सर्विस की आवश्यकताऔं के कारण हुआ है तो सामान्य सिंद्धात यह है कि स्पष्ट या दीर्घकालिक रिक्तियों में कार्य करने वालों में से कनिष्ठ-अधिकांश व्यक्तियों को आम तौर पर प्रतिनियुक्ति या छुट्टी आदि से वापस आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जगह बनाने के लिए वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा आम तौर पर कार्यवाहक आधार पर पदोन्नति आम तौर पर वरिष्ठता के अनुसार होती है, पदोन्नति के लिए योग्यता के अधीन, कनिष्ठ-अधिकांश व्यक्ति को वापस किया जाता है, आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जिसे अंतिम बार पदोन्नत किया जाता है। यह मामलों की स्थिति मूल रूप

से तब तक बनी रहती है जब तक कि वर्तमान परिस्थितियाँ की तरह असाधारण परिस्थितियाँ न हों। जैसा कि हमने पहले बताया था कि नये मैसुर राज्य को पुराने मैसुर राज्य व अन्य चार क्षेत्रों को मिलकर बनाया था जिसके कारणवश पुराने व अन्य राज्य के अधिकारी नये राज्य मैसूर के अधिकारी बने और उनके एककीरण के प्रश्न का निर्णय धारा 115 राज्य पुर्नगठन के अधिनियम के अनुसार किया जाना था। उक्त मामले में समय लगा और फिर इसलिए प्रशासन के हित में 1 नवंबर, 1956 के बाद नए मैसूर राज्य द्वारा तदर्थ पदोन्नति जारी रही। इस तदर्थ पदोन्नति का परिणाम यह ह्आ कि एक ऐसे राज्य में जहां एकीकरण का कोई सवाल ही नहीं है, योग्यता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का सामान्य सिद्धांत काम नहीं कर सका और इसलिए हमने पाया कि नए राज्य द्वारा विभिन्न राज्यों के अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में विभिन्न योग्यता सूचियों से उप-निरीक्षकों को पदोन्नत करने के आदेश पारित किए गए थे। 1958 में ही उप-निरीक्षकों की अस्थायी सूची तैयार की गई थी। जब यह अस्थायी सूची तैयार की गई तो यह पाया गया कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त पात्रता सूचियों से बनाई गई पदोन्नति अस्थायी सूची के अनुसार नहीं थी और ऐसा कई मामलों में हुआ कि उप-निरीक्षक जो अनंतिम सूची में वरिष्ठ थे और जो विभिन्न राज्यों की पात्रता सूची में भी थे, उन्हें उप-निरीक्षकों के बाद पदोन्नत किया गया जो अनंतिम सूची में कनिष्ठ थे, हालांकि वे पात्रता सूची में भी थे। यह इन विशेष परिस्थितयों के कारण उत्पन्न होने वाली अस्थायी सूची के कारण था जो 1958 के बाद लागू होने लगी थी।

इसलिए हमारी राय है कि यह 1 नवंबर, 1956 के बाद की विशेष परिस्थितियों के कारण था कि याचिकाकर्ताओं और उनके जैसे लोग जो पात्रता सूचियों में अन्य उप निरीक्षकों से वास्तव में कनिष्ठ थे, उन्हें पहले पदोन्नत किया गया था क्योंकि कोई अस्थायी सूची उपलब्ध नहीं थी या जब पदोन्नति को तदर्थ और वरिष्ठता से बाहर किया गया था तो वास्तविक रूप से लागू था। यह केवल तभी हुआ जब अस्थायी सूची बनाई गई कि विभिन्न राज्यों से आने वाले अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता प्रथम दृष्ट्या ज्ञात हुई।

इसिलये जब सेवा की आवश्यकता के आधार पर रिवर्ट किया गया तो वह पूर्व एड होक प्रमोशन पदोन्नित के कारण प्रोविजनल लिस्ट के आधार पर किये गये तो ऐसा पूर्व एड होक पदोन्नित की कुछ इस्पेक्टर जिनको पहले पदोन्नित किया गया था उन्हें दूसरों की तुलना में प्राथमिकता दी गई जिनकी बाद मे पदोन्नित की गयी। इसिलये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राज्य में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितयां जो स्टेट रिआगनाइजेशन एक्ट के कारण थी वो साधारण तरीके से अलग थी। जो कि अस्थायी सूची के पश्चात की गयी थी इसिलये याचिकाकर्ता नियम 2(ग) पर निर्भर नहीं कर सकता जो राज्य में रिआर्गनाइजेशन के पश्चात प्रचलन में थे। क्योंकि पदोन्नति ऐड होक बिना अन्य राज्यों के अधिकारियों की वरिष्टता से की जा रही थी। इस विशेष परिस्थिति के कारण यह प्रकट होता है कि 2(ग) की पालना प्रत्यावर्तन के समय पदोन्नति पर नहीं की गयी व वरिष्टता को ध्यान में नहीं रखा गया और इससे सब इस्पेक्टर जो कनिष्ट थे उनका वरिष्टों से पूर्व उनकी पदोन्नति की गयी। अतः हमारा यह मत है कि 2(ग) हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। कनिष्ट अधिकारियों का प्रत्यावर्तन जब सेवा की आवश्यकातों के कारण हुआ तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकताऔं के प्रत्यावर्तन में भेदभाव ह्आ क्योंकि राज्य सरकार ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया उससे यह दर्शित है कि कनिष्ट अधिकारी अस्थायी सूची में कनिष्ट पद पर थे चाहे विशेष परिस्थितयों में वे सर्कल इन्सपेक्टर से अधिक अपने पद पर कार्य कर रहे थे व बल्कि जिनका प्रत्यावर्तन नहीं किया गया था। इसलिए हमारी राय है कि उल्लंघन के आधार पर भेदभाव का आरोप आर. 2 (ग) इस मामले की विशेष परिस्थितियों में नहीं हो सकता हैक्योंकि यह विवाद में नहीं है कि अस्थायी सूची के अनुसार वे जूनियर थे, जब प्रवर्तन का आदेश किया गया।

इसिलए अपील और रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और एतद्द्वारा वर्खास्त किए जाते हैं। इस मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अपील और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तन्वी माथुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।